निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 91/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग, के माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2016 से 10.11.2016 तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री धीरज कुमार रामुका, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.2014 से 06.06.2014 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2010 से 04/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- निर्माण कार्य।

   (ii) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-) `	बचत (+) `	अन्तिम अवशेष
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `			
2013-14	-	1109.97	76.24	74.74	885.65	883.01	-	1.49	1112.61
2014-15	-	1112.61	120.30	102.44	1044.85	730.20	-	17.86	1427.27
2015-16	-	1427.27	140.86	104.79	1018.57	1220.38	-	36.07	1225.46

***बचत की धनराशि स्थापना मद की है जो कि वर्षात में समर्पित कर दी जाती है।**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय `**	**अधिक्य (-) `/बचत (+)**
2013-14	1. दैवीय आपदा 2. रा.मा.शि.अ. 3. रा.कृषि वि.यो.	– 50.65 121.35	58.30 83.44 –	36.97 126.59 75.15	21.33 7.50 46.20
2014-15	1. दैवीय आपदा 2. रा.मा.शि.अ. 3. रा.कृषि वि.यो.	21.33 7.50 46.20	20.09 81.73 –	41.41 89.23 46.20	0.01 – –
2015-16	1. दैवीय आपदा 2. रा.मा.शि.अ.	0.01 –	20.75 154.66	20.73 36.90	0.03 117.76

(iii) **इकाई को बजट** राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य निष्पादन हेतु आवंटित किया जाता है। **गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई** 'अ' **श्रेणी की है।** विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है।

1. सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, देहरादून
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, एजेंसी मौहल्ला, निकट–थाना परिमंडल, पौड़ी गढ़वाल।
4. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, विकास भवन, रूद्रप्रयाग

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी **अभियंता, निर्माण** विभाग, रूद्रप्रयाग, **को आच्छादित किया गया।** समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण** विभाग, रूद्रप्रयाग, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 व 02/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। लंबवाड–खरियाल गांव मोटर मार्ग निर्माण, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण एवं विकास भवन का निर्माण का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) **लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।**

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी नहीं की गयी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबंदी क्रमशः माह 09/2016 तक की गयी।

5. फार्म 51 : माह 10/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुक है जिसके

6. भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है :

भाग प्रथम — ` 2359000.00

भाग द्वितीय — ` शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2016 के अंत में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम — शून्य

(ख) सामग्री क्रय — शून्य

(ग) नगद परिशोधन — शून्य

(घ) निक्षेप — ` 95026713.00

(ड) भण्डार—शून्य

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ` 70.02 लाख की धनराशि बिना निर्माण कार्य के विगत दो वर्षों से अवरूद्ध रखना।

जिला योजना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लवौली में अनावासीय भवन के निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग को दो किस्त में पहली किस्त ` 35.00 लाख एवं दूसरी किस्त दिनांक 15.09.2014 को ` 20.00 लाख कुल ` 55.00 लाख एवं ` 15.02 लाख रोठिया (ज्वाड़ी) में पशु सेवा केन्द्र निर्माण हेतु अक्टूबर 2012 को अवमुक्त किया गया था। शर्त नम्बर 12 के अनुसार स्वीकृत धनराशि को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना था।

मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं अभिलेखों की जांच करने पर यह देखा गया कि दो वर्ष गुजार जाने के बाद भी निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति शून्य थी। लेखापरीक्षा दल द्वारा यह पूछा गया कि बिना कार्य के कोषागार से ` 70.02 लाख क्यों आहरण लिया गया, तो विभाग ने अपने उत्तर में बताया की सम्बन्धित विभाग द्वारा वर्तमान समय तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा धनराशि वापस करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः ` 70.02 लाख की धनराशि बिना निर्माण के विगत दो वर्षों से अवरूद्ध रखने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 159.48 लाख के मोटर मार्ग निर्माण कार्य को अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध टुकड़ों में विभाजित कर कराया जाना।

उत्ताखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 3 (2) के अनुसार सभी कार्य/अधिप्राप्तियों निविदा के माध्यम से की जायेंगी तथा प्रस्तर 3 (10) के अनुसार कार्य की मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही कार्य को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जायेगा। जिससे पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

जनपद रूद्रप्रयाग के जखोली विकासखण्ड में लम्बवाड–खरियाल गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ` 175.92 लाख के विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष शासन द्वारा ` 159.48 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए ` 10.00 लाख की राशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी (मार्च 2015)। मोटर मार्ग के स्टेज–I के कार्यों के लिए ` 103.22 लाख के विस्तृत प्राक्कलन पर इतनी ही राशि व्यय की प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी। मोटर मार्ग हेतु जिसकी लम्बाई 1.65 किमी. तथा चौड़ाई 3.0 मीटर प्रावधानित है के अन्तर्गत रोड कटिंग, स्टेज–1 के कार्य, प्रोटेक्सन वर्क, ड्रेनेज वर्क तथा 20 एम.एम. पी.सी. वर्क किये जाने प्रस्तावित हैं, अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को कई टुकड़ों में बांटकर किया जा रहा है। रोड कटिंग हेतु कुल 06 कार्यादेशों के माध्यम से कार्य कराये गये। मोटर मार्ग की 1.65 किमी. लम्बाई के स्टेज–1 के निर्माण कार्यों को खण्ड द्वारा एक ही तिथि को तीन अलग–अलग अनुबंध गठित कर किया जा रहा है जिनकी लागत क्रमशः ` 21.60 लाख, ` 21.23 लाख एवं 14.48 लाख है। अनुबंधों के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 9.3.16 तथा पूर्ण होने की तिथि 08.08.16 निर्धारित परन्तु सभी अनुबधों में लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य जारी था।

लेखापरीक्षा में इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि मुख्य अभियन्ता के आदेशानुसार ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु छोटे–छोटे जॉब की निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा रहे हैं

एवं सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के आदेशानुसार पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य कार्यादेश पर करने के निर्देशों के परिपालन में किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा विनियमित तथा अधिसूचित अधिप्राप्ति नियमावली में विभागाध्यक्ष स्तर पर संशोधन अमान्य है। सचिव ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली में शासन द्वाा किये गये संशोधन 33 (छ) का उल्लेख किया है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित नियमावली (संशोधन) के उक्त बिन्दु के अनुसार ` 1.50 करोड़ तक के कार्य विभागीय पद्धति से कराये जा सकते हैं तथा कार्यादेश के माध्यम से ` 3.00 लाख तक के कार्य कराये जा सकते हैं। नियमावली में यह संशोधन कदापि नहीं किया गया है कि परियोजना के कार्यों को टुकड़ों में बांटकर कराया जाय।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN प्रस्तर**
39/2014-15	-	1,2,3,4	-
15/2010-11	1, 2, 3	1	-
81/2006-07	-	1,2	-
61/2005-06	-	1,2	-

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

पुलिस चौकी एवं पुलिस विभाग के आवासीय परिसर, गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग का निर्माण कार्य दुर्गम क्षेत्र में होने के बावजूद उच्च गुणवत्तापूर्ण है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-** शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
i	कैलाश चन्द्र डिमरी	अधिशासी अभियंता	.....

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे।

1. श्री कृष्ण कुमार सागर 29.08.2011 से 22.09.2016 तक
2. श्री आलोक कुमार 23.09.2016 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)